4427/I 2014

दान- पत्र

1- स्टाम्प शुल्क प्रयोजन हेतु सर्किल दर से मालियत- 71,81,000/-रूपयें

2-शासनादेश संख्या XXVII(9)2013/स्टाम्प-20/2010 दिनांकित 23 जुलाई सन 2013 के अनुसार 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क- 72,000/-रूपयें

3- दानदाता अपने सगे भाई के पक्ष में दान दे रहा है।

4- स्टाम्प शीटो की संख्या- 11

5- दान सम्पति का कुल क्षेत्रफल- 2475 वर्गफुट यानि 230 वर्गमीटर

6- दान सम्पति का विवरण- आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति

7- कवर्ड एरिया-157.49 वर्गमीटर आर0बी0सी0 युक्त निर्माण जिसका सर्किल रेट 7800/-रूपयें प्रतिवर्गमीटर से मालियत 12,28,422/-रूपयें परन्तु उक्त निर्माण 30 वर्ष पुराना बना है जिसका ह्रास मूल्य 0.739 निकालकर मालियत 9,07,804/-रूपयें व व्यवसायिक ऑफिस व होल 52.95 वर्गमीटर जिसका किराया 180/-रूपयें प्रतिर्वमीटर के 300 गुणा से मालियत 28,59,300/-रूपयें इस प्रकार कुल कवर्ड मालियत 37,67,104/-रूपयें।

8-स्थित-ग्राम रामपुर मुस्तहकम परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

9- दानकर्ता तथा दान ग्रहिता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित है अथवा नही:-नही।

10- स्वामित्व का आधार- संक्रमणीय भूमिधरी

11- भूमि पट्टे आदि की है अथवा नही:- नही

12- चकबन्दी चल रही है अथवा नही:- नही

13- कृषि भूमि की स्थिती में:- लागू नही

14- रेट लिस्ट में पृष्ट संख्या 09 कालम संख्या 02(3) सर्किल रेट 13,300/-रूपयें प्रति वर्गमीटर से भूमि 177.03 वर्गमीटर की मालियत 23,54,499/-रूपयें व व्यवसायिक भूमि 52.95 वर्गमीटर जिसका सर्किल रेट 20,000/-रूपयें प्रतिवर्गमीटर से मालियत 10,59,000/-रूपयें कुल भूमि की मालियत 34,13,499/-रूपयें व कवर्ड क्षेत्रफल की मालियत 37,67,104/-रूपयें इस प्रकार कुल मालियत 71,80,603/-रूपयें

15- आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर:- अन्दर है।

16- मुख्य सड़क से दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

17- क्या दान ग्राहिता उत्तरांचल का कृषक है अथवा नही:-दानग्राहिता उत्तराखण्ड राज्य का कृषक है।

18- फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता:- पक्षकार व गवाहान की पहचान पर विजय कुमार राजपूत एडवोकेट, रूडकी।

19- दानकर्ता का नाम, पिता का नाम व पता:-श्री आशुतोष सिंह पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ निवासी मकान नं0 375-376 पुरानी तहसील रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार (पहचान पत्र संख्या यू0पी0/85/420/108226) PAN NO. ACAPS 3036N

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 267924

2

विदित हो कि दानकर्ता निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तान्तरण

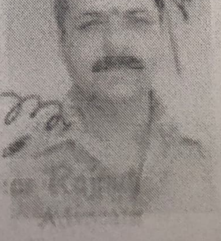

Photo Attested

Vijay Kumar Rajput
Advocate
Civil Court Roorkee

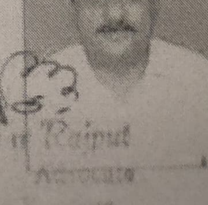

Photo Attested

Vijay Kumar Rajput
Advocate
Civil Court Roorkee

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

A 26784

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

3

तथा बन्धक आदि नही है और कोई ऋण आदि किसी महकमें, बैंक, सोसायटी आदि रं
या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नही है औ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 257664

4

निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित व दान करने मे प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः दानकर्ता ने अपनी मनबुद्धि तथा इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे बिना किसी जोर व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

23 APR 2014

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

5

दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने सगे भाई श्री विश्वतोष सिंह पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ निवासी मकान नं0 375-376 पुरानी तहसील रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार (पहचान पत्र संख्या यू0पी0/85/420/108228)
PAN No. ACBPS 5903 R.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 2500

6

के हक मे सबरू गवाहान दान कर दिया है तथा दानग्राहियता ने बतौर सहमति स्वीकार कर लिया है तथा निम्नलिखित सम्पत्ति जैल से मुकिर दानकर्ता ने अपना कब्जा उठाकर दानग्राहियता उपरोक्त का कब्जा मौके पर करा दिया है। अब दानकर्ता या उसके वारसान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

7

का कोई वास्ता व ताल्लुक निम्नलिखित सम्पत्ति से भविष्य में किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा और दानग्राहिता को निम्नलिखित सम्पत्ति में कुल मालकाना हस्तान्तरण के अधिकार योम हिबा मजकूर से हासिल हो जायेंगे। अब प्रतिज्ञ् वचन देते और प्रतिज्ञा करते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

A 267908

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

है कि दानग्राहिता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करें दानकर्ता तथा उसके उत्तराधिकारीगण को दान की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 994480

कोषागार

25 APR 2023

9

हुई निम्नलिखित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही रहा है और न ही भविष्य में होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 994481

अतः यह दान पत्र दोनों पक्षों ने अपनी स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क से अपने पूर्ण होश व हवास में अपनी मर्जी से लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

<u>दान की गयी सम्पत्ति का विवरणः</u>-एक किता सम्पत्ति जिसकी भूमि तहती की पैमाईश पूरब मे 68 फुट 9 इंच, पश्चिम में 68 फुट 9 इंच, उत्तर में 36 फुट, दक्षिण में 36 फुट जिसका कुल क्षेत्रफल 2475 वर्गफुट यानि 230 वर्गमीटर जिसमें से भूतल पर 101.98 वर्गमीटर आर0बी0सी0 युक्त निर्माण है व शेष खुला सहन है व प्रथम तल पर 55.51 वर्गमीटर आर0बी0सी0 युक्त निर्माण है। इस प्रकार कुल आर0बी0सी0 युक्त निर्माण 157.49 वर्गमीटर क्षेत्रफल आवासीय व भूतल पर 52.97 वर्गमीटर व्यवसायिक क्षेत्रफल है जिसके कुल के हदूद पूरब मे सम्पत्ति विश्वतोष सिंह, पश्चिम मे मकान अशरफ, उत्तर मे शेष सम्पत्ति आशुतोष दानकर्ता, दक्षिण मे रूडकी देहरादून रोड मुतालिका खसरा नम्बर 340मि0 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तहकम परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार। मय कुमला हक हकूक हर प्रकार सहित।

दानकर्ता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दानग्राहियता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

साक्षीः- (देवेन्द्र त्यागी पुत्र [illegible] सिंह) नि॰ ग्राम रामपुर, रुड़की जि॰ हरिद्वार

साक्षीः- (पवन किशोर पुत्र मुन्नालाल) नि॰ लालकुर्ती, रुड़की कैंट जि॰ हरिद्वार

तहरीर तारीखः-29-04-2014ई0

ड्राफ्टकर्ता- विजय कुमार राजपूत, एडवोकेट रूडकी जिला हरिद्वार।

Vijay Kumar Rajput
Advocate
Civil Court Roorkee